Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Land Dispute Appeal No.- 11/2015

Sumati Devi & Ors.....Appellants

Versus

The State of Bihar & Anr.....Respondents

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05-6-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत अपील न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी, पूर्णिया द्वारा B.L.D.R वाद सं0— 409/2014 में दिनांक—01.10.2014 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। विलंबक्षांत हेतु एक पृथक आवेदन दाखिल है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा— छतियान, थाना सं0— 421, खाता सं0— 9, खेसरा सं0— 774, 750, 686, 684, 687 एवं 688, रकवा— 5.16 एकड़ भूमि सिलिंग वाद सं0— 289/1975—76 द्वारा अधिग्रहित होते हुए वाद सं0— 8/86—87 द्वारा अपीलार्थियों के बीच वितरित किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि की अधिसूचना को विलोपित करते हुए इस भू—स्वामी के हिस्से में दिया गया। तदालोक में अंचलाधिकारी, बायसी द्वारा लालकार्ड धारियों को लाल कार्ड जमा कर भूमि खाली करने का निदेश दिया गया। जब ऐसा नहीं हुआ तब उत्तरवादी द्वारा निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया गया। अपीलार्थियों द्वारा निम्न न्यायालय म प्रत्युत्तर समर्पित करते हुए स्पश्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि भू—स्वामी को देने का आदेश नही किया गया है, बल्कि अधिशेश भूमि की श्रेणी से इसे बाहर करते हुए समाहर्त्ता को पुनः सुनवाई करने हेतु वापस किया गया। अपर समाहर्त्ता द्वारा प्रश्नगत भूमि को अधिशेश से मुक्त करने हेतु आदेश पारित किया गया, उनके द्वारा दखल—दिहानी का कोई आदेश नहीं है। उत्तरवादी द्वारा वाद सं0— 8/86—87 से बंदोबस्त भूमि पर दावा किया जा रहा है, जबकि अपीलार्थियों को वाद सं0— 10/86—87 से भूमि प्राप्त है। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया गया, जो सही नही है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश अवैध एवं तथ्यों से परे है। उत्तरवादियों द्वारा कोई दस्तावेज समर्पित नही किया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश अटकलों पर आधारित है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रस्तुत अपील तथ्यों के आधार पर पोशणीय नही है। निम्न न्यायालय द्वारा दस्तावेजीय साक्ष्यों के आधार पर मुखर आदेश पारित किया गया है। प्रस्तुत क्रमशः	

Web copy Not official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-6-2024**	वाद में राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है, जिन्हें निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। उत्तरवादियों द्वारा बीबी महफूजन निशां से विक्रय संलेख के माध्यम से दिनांक– 12.03.1982 को कुल 6.3 एकड़ भूमि क्रय को गई, जिसमें 5.16 एकड़ जमीन विवादित है। सिलिंग वाद सं0– 289/1975–76 में इनके विक्रेता भूधारी के रूप में पक्षकार थे जिसमें गलत तरीके से उक्त भूमि को अधिशेश घोशित की गई। उक्त आदेश के विरूद्ध भू–धारी बीबी महफूजन निशां द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना म C.W.J.C. No.- 1632/1987 दायर किया गया, जिसमें अन्य याचिकाओं सहित दिनांक– 15.05.1996 को उत्तरवादी द्वारा क्रय की गई भूमि को अधिशेश से मुक्त किया गया। उक्त आदेश के आलोक में उत्तरवादी ने अपनी क्रय की गई भूमि को अधिशेश से विलोपन हेतु समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष आवेदन समर्पित किया। जिसे अपर समाहर्त्ता (भू–हदबंदी पूर्णिया) को हस्तांतरित कर दिया गया। अपर समाहर्त्ता ने सिलिंग अधिनियम की धारा 15(1) द्वारा निर्गत अधिसूचना को रद्द कर दिया तथा उत्तरवादी को दखल दिलाने हेतु अंचलाधिकारी, बायसी ने ज्ञापांक– 1101, दिनांक– 11.8.2008 को सूचना निर्गत करते हुए अपीलार्थी को प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के पक्ष में खाली करने का निदेश दिया। साथ ही अंचलाधिकारी, बायसी द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में निर्गत लाल–कार्ड जमा करने का निदेश दिया गया। किन्तु अपीलर्थीगण धूर्त्त प्रवृति के व्यक्ति है, जिन्होने न तो लाल–कार्ड समर्पित किया है और न ही प्रश्नगत भूमि खाली करने हेतु कोई कदम उठाया गया। अपीलार्थीगण राजनीतिक व्यक्ति है, जिसमें अपीलार्थी सं0– 4 सोनेलाल राय बनगामा ग्राम पंचायत के मुखिया एवं अपीलार्थी सं0–1 अर्जून राय (अब मृत्त) वार्ड सदस्य रहे है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं अपर समाहर्त्ता (भू–हदबन्दी) पूर्णिया द्वारा पारित आदेश के आलोक में उत्तरवादी ने निम्न न्यायालय में उक्त वाद दायर किया। निम्न न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई करते हुए दस्तावेजीय साक्ष्यों के आधार पर विधि सम्मत आदेश पारित किया गया है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इस प्रकार इनकी ओर से उक्त अपील अस्वीकृत करने की प्रार्थन की गई है। उभय पक्षों को सुनने, अभिलेख में संलग्न सुसंगत कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकन एवं समीक्षोपरांत यह स्पश्ट है कि उभय पक्षों के बीच प्रश्नगत भूमि की बंदोवस्ती एवं निश्पादित विक्रय संलेख के आलोक में दावे प्रतिदावे को लेकर उत्पन्न हुआ है। भू–हदबन्दी वाद सं0– 289/1975–76 द्वारा विवादित भूमि अधिग्रहित करते हुए अपीलार्थी के पक्ष में लाल कार्ड निर्गत किया गया है। उक्त सिलिंग वाद में पारित आदेश के विरूद्ध भू–स्वामी बीबी महफुजन निशां द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C No.- 1632/1987 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सदृश्य अन्य याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करते हुए निम्न न्यायालय के आदेशोंएवं धारा–15(1) के अंतर्गत प्रकाशित अधिसूचना को भी निरस्त करते क्रमशः	

Web copy. Not official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-6-2024**	हुए मामले को समाहर्त्ता, पूर्णिया के समक्ष पुनविचारण हेतु प्रति प्रेशित किया गया। उक्त के आलोक में समाहर्त्ता द्वारा मामले को अपर समाहर्त्ता, पूर्णिया (भू–हदबन्दी) को हस्तांतरित कर दिया गया। अपर समाहर्त्ता ने सिलिंग अधिनियम की धारा–15(1) द्वारा निर्गत अधिसूचना को रद्द कर दिया। इस प्रकार विवादित भूमि पुनः भू–स्वामिनी बीबी महफूजन निशां जो उत्तरवादी के विक्रेता है, की यूनिट में संधारित किया गया। उक्त के आलोक में अंचलाधिकारी, बायसी ने अपीलार्थियों को, प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के पक्ष में खाली करते हुए निर्गत लाल–कार्ड वापस करने का निदेश दिया गया। किन्तु अपीलार्थी द्वारा इसे इनकार करते हुए प्रश्नगत भूमि पर अवैध दखलकार बने हुए है। निम्न न्यायालय ने पाया है कि अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश की अवहेलना करते हुए विवादित भूमि पर नाजायज अतिक्रमण किये हुए ह, जो अवैध है। अतः उपर्युक्त के आलोक में निम्न न्यायालय आदेश को न्यायोचित एवं विधि सम्मत पाते हुए इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसे सम्पुश्ट किया जाता है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बायसी एवं अंचलाधिकारी, बायसी को निदेश दिया जाता है कि प्रश्नगत भूमि की मापी कराते हुए यथाशीघ्र उत्तरवादी को दखल–कब्जा दिलाना सुनिश्चित करे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितों को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं सशोधित आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

Web copy . Not official.